विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-38 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
38- (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-वाराणसी के तुलसीपुर महमूरगंज थाना भेलपुर अराजी नं0 234-235 के मकानों पर हुए अवैध कब्जे का विवाद उपजिलाधिकारी-सदर, वाराणसी के न्यायालय में विचाराधीन था, जिसका निर्णय दिनांक 29.06.2022 को आया था?	जी हाँ। उप जिलाधिकारी, सदर, वाराणसी के न्यायालय में वाद संख्या-टी202114700124072 हासानन्द हेमानी बनाम संजय कुमार श्रीवास्तव अन्तर्गत धारा 209, उ0प्र0, ज0वि0 एवं भूमि व्यय अधि0 1950 मौजा तुलसीपुर परगना देहात अमानत तहसील सदर जिला वाराणसी आराजी नं0-234 व 235 के सम्बन्ध में विचाराधीन था जिसमें निर्णय दिनांक 29.06.2022 को नहीं अपितु दिनांक 27.06.2022 को पारित किया गया।
(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन करा दिया गया है?	उक्त आदेश दिनांक 27.06.2022 के अनुपालन में मौके पर विवाद की स्थिति होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस बल के प्रबन्ध हेतु कार्यवाही की जा रही थी, उसी समय जनपद वाराणसी में आयी बाढ़ एवं सावन मास होने के फलस्वरूप प्रशासनिक व्यस्तता एवं पर्याप्त पुलिस बल की अनुपलब्धता के कारण आदेश दिनांक 27.06.2022 का दिनांक 26.07.2022 तक अनुपालन नहीं कराया जा सका। दिनांक 26.07.2022 को सतीश कुमार जायसवाल वगैरह द्वारा तजबीजसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी, सदर, वाराणसी के न्यायालय में प्रचलित तजबीजसानी वाद का निस्तारण आदेश दिनांक 07.09.2022 के माध्यम से कर दिया गया है।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	उपरोक्तानुसार।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उ0प्र0।